फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मांगीलाल पिता खुमाण जी खटीक निवासी ताणा, तहसील कपासन

बनाम

मृत्तक भीमा के बजाएः–लाला पिता भीमा जी डांगी निवासी ताणा वगैरा

प्रकरण संख्या 19/2011 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष पूर्व में भी पेशी दिनांक 27.05.2022, दिनांक 11.11.2022 एवं दिनांक 11.08.2023 पर भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	